



राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुख्खा विभाग

सभी परिवहन कार्यालयों में दिनांक 01.04.2024 से ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिकली जारी होंगे। इसे उपयोग में लेने की प्रक्रिया :-

क्र.स.	e-Registration Certificate	e-Driving License
1.	परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं	परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं
2.	इसके पश्चात् Online Services में Vehicle Related Services पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Online Services में Driving License Related Services पर क्लिक करें
3.	स्क्रीन में पंजीयन नंबर दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Driving License में Print Driving License पर क्लिक करें
4.	स्क्रीन में DOWNLOAD DOCUMENT TAB पर क्लिक करें, इसके पश्चात् प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें	उक्त स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अथवा आवेदन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें
5.	स्क्रीन पर अपने वाहन के चैसिस नंबर के अंतिम पांच नंबर को दर्ज करें	इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें
6.	इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें
7.	इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें	अब स्क्रीन पर e-DL प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
8.	अब स्क्रीन पर e- RC प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं	

नोट :-

1. e-DL एवं e-RC को स्वयं के द्वारा, ई-मित्र केन्द्रों अथवा परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन के जरिये डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।
2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 139 के अनुसार e-DL एवं e-RC सभी जांच एजेंसियों यथा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग आदि द्वारा वैधानिक रूप में मान्य होंगे।
3. e-DL एवं e-RC पर प्रदर्शित QR Code को स्कैन कर पंजीयन प्रमाणपत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं उनकी सत्यता की जांच हो सकेगी।
4. दिनांक 01.04.2024 से स्मार्ट कार्ड जारी नहीं होगा अतः इसकी फीस रुपये 200/- देय नहीं होगी।